order Sheet [Contd]

ЯОФО1-3.4..../-1-7--- 10 чил

Order or proceeding with Signature of presiding

Signature of Parties or Pleaders where necessa

Order or

Proceeding

परिवादी विद्युत विभाग द्वारा उपमहाप्रबंधक की ओर से सहायक यंत्री किनिष्ठ यंत्री कि। सि अधिवक्ता श्री क्रिकार्यउप0।

आरोपी / गण सहित / द्वारा अधि० श्री..... उप0/आरोपी अनुपस्थिति।

प्रकरण नेशनल / मेगा लोक अदालत में पेश हुआ है। यह परिवाद विद्युत विभाग द्वारा धारा 138(1)ख विद्युत अधिनियम के तहत आरोपीपक्ष के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। इस परिवाद में आरोपी पक्ष पर धारा 138(1)ख विद्युत अधिनियम का आरोप लगाया गया है।

कार्यपालन यंत्री की ओर से सहायक यंत्री / कनिष्ठ यंत्री ने अपने अधिवक्ता सहित एक आवेदन पेश कर निवेदन किया कि उस उक्त परिवाद मामले में विद्युत विभाग की ओर से उक्त मामले में आरोपी पक्ष के द्वारा विद्युत विल की बकाया राशि जमा की जा चुकी है। ऐसी स्थिति में लोकहित में परिवादी विद्युत विभाग यह परिवाद बढाना नहीं चाहता है, कार्यवाही समाप्त की जावे।

सुनाया गया। प्रकरण का अवलोकन किया गया। उक्त आवेदन के आलोक में इस नेशनल / मेगा लोक अदालत में परिवादी विद्युत विभाग का उक्त आवेदन स्वीकार किया जाता है। उक्त आरोपी का अगर जमानती / गिरफ्तारी वारंट जारी हो तो उसे अदम बुलाने हेत् पत्र अविलंब जारी हो।

प्रकरण में कोई जप्ताशुदा सम्पत्ति नहीं है। परिणाम पंजी में दर्ज कर प्रकरण अभिलेखागार भेजा जावे।

> वीरेन्द्र सिंह राजपूत पीटासीन अधिकारी खण्डपीट क0-18 एवं विशेष न्यायाधीश विद्युत अधिनियम गोहद, जिला भिण्ड